भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान प्रक्षेत्र में प्रयोगात्मक प्रखण्डो के अतिरिक्त विभिन्न खाली जगह व IGNP चैनल साथ-साथ सेवण,धामण एवं हरी घास की कटाई करने एवं बेचने हेतु खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय पर दिनांक 21.09.2020 को **सुबह 11.00** बजे (सोमवार) आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति **रु.2000**/- (रुपये दो हजार मात्र) की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है। अधिकतम राशि की बोली लगानेवाले बोलीदाता को मौके पर ही बोली की सम्पूर्ण राशि नगद रूप मे जमा करवानी होगी |इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट www.ciah.icar.gov.in एवं CPP NIC Portal पर उपलब्ध है।

प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रेषण क्र./Despatch No. 4441
दिनांक/Date :- 16/9/2020
केशुबासं/CIAH, Bikaner

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शिवबाडी, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शिवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
7. सूचना पट्ट - कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर |
8. सूचना पट्ट - कार्यालय जिला क्लेक्ट्रेट,बीकानेर |
9. प्रभारी, ए.के.एम.यु.,भाकृअनुप-केशुबासं,बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
10. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन,भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
11. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन,भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
12. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।

Sh. Sanjay Pathak

भाकृअनुप
ICAR

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

के शु बा सं

==

संस्थान प्रक्षेत्र में सेवण,धामण एवं हरी घास अनुसंधान प्रखंडो के अतिरिक्त विभिन्न खाली जगहो पर व IGNP चैनल पर उगी हुई सेवण,धामण एवं हरी घास की खुली नीलामी (दिनांक 21.09.2020 को सुबह 11.00 बजे) के विस्तृत नियम व शर्ते |

1. संस्थान में प्रयोगात्मक प्रखण्ड के अतिरिक्त विभिन्न खाली जगहो पर व IGNP चैनल पर उगी सेवण,धामण एवं हरी घास **की कटाई** की नीलामी की जानी है।
2. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यकित को बयाना राशि के रुप में रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कराने होंगे |
3. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा |
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की समस्त राशि मौके पर ही जमा कराना होगा | तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को कटाई एवं ले जाने हेतु कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा |
5. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवण,धामण एवं हरी घास की कटाई करते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे | प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा | यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी |
6. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा |
7. सेवण,धामण एवं हरी घास की कटाई एवं उसको ले जाने का कार्य केवल कार्य दिवस में तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा | रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा | संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को सेवण,धामण एवं हरी घास की कटाई के लिये नही लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा सेवण,धामण एवं हरी घास की ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है |
8. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण सेवण,धामण एवं हरी घास को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी |
9. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा | इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा |
10. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति नही पहुचाई जायेगी अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाइ अनुबंधक से की जावेगी।
11. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे तथा एक माह का समय दिया जाएगा |
12. उपरोक्त सेवण,धामण एवं हरी घास की कटाई अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहॉ उगी है वहॉ से ही कटाई करनी होगी । संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य पर अनुबंधक द्वारा नही लगाना होगा |

सहायक प्रशासनिक अधिकारी